प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है । यह रिपोर्ट दो भागों में हैः

भाग क मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे बिक्री/मूल्य-वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहनों पर कर, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क तथा अन्य कर व गैर-कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

भाग ख उसी वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के सा.क्षे.उ. की अनुपालना लेखापरीक्षा से प्राप्त परिणामों, निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) (सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र) की भूमिका को प्रस्तुत करता है।

वित्तीय लेखे तथा विनियोजन लेखे की जाँच से उत्पन्न लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखों की जाँच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परंतु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, 2011-12 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।